COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

GF-20/-

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर, म॰प्र॰

निगरानी 1332-I-15

खालिक पिता बसीर वक्स

निवासी-ग्राम अमरछी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म॰प्र॰

...निगरानीकर्त्ता/आवेदक

|| विरुद्ध ||

1. कल्ली पत्नी तफज्जुल हुसैन

2. अहमद पिता तफज्जुल हुसैन

3. गुलही उर्फ सावरा पिता तफज्जुल हुसैन

4. सावदा पिता तफज्जुल हुसैन

5. कुन्ती पुत्री तफज्जुल हुसैन

सभी निवासी-ग्राम अमरछी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म॰प्र॰

...अनावेदकगण

नि॰प्र॰क्रं॰ प्रस्तुत दिनांक-

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰राजस्व संहिता 1959

आवेदक/निगरानीकर्त्ता निम्न प्रार्थना करता है:-

आवेदक यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अजयगढ़ जिला पन्ना की रा॰प्र॰क्रं॰ 14/अ-6 (अ)/ वर्ष 2014-15 नाम पक्षकारगण कल्ली वगैरा विरुद्ध खालिक

1 JUN 2015

199
02-06-15

खालिक बक्स

..2..

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-1332/I/15 .... जिला पन्ना

कल्ली / वाचक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-15	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अब्दुल मजीद कुरैशी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि विवादित आराजी सर्वे क्र. 339 के स्थान पर बन्दोबस्त के दौरान नये सर्वे क्र. 580 एवं 582 निर्मित कर राजस्व रिकार्ड में बन्दोबस्त के दौरान आवेदक के पिता के स्थान पर आवेदक का नाम समाविष्ट न करने के कारण संहिता की धारा 115-116 के तहत नाम दर्ज कराने का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां तहसीलदार द्वारा भूमि संयुक्त खाते की होने से आवेदक का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज करने का आदेश दिनांक 17-9-14 से दिया गया। जिसे अनु० अधि० अजयगढ़ द्वारा बिना पर्याप्त कारण के सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि का सुधार संहिता की धारा 89 के तहत किया जा सकता है धारा 115-116 के तहत नहीं। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 30-4-15 से अधीनस्थ तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-9-14 निरस्त किया गया। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक अभिभाषक के प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो के कथित बिन्दुओं तथा अनु० अधि० के आदेश दिनांक 30-4-15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक विवादित आराजी में सहखातेदार था जिसका नाम बन्दोबस्त के दौरान भूल से पटवारी अभिलेख में छूट गया था जिसकी पुष्टि तह० द्वारा लिये गये राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से होना निगरानी मेमो में अंकित है।	

[कृ. प. उ.

R-1332/II/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/8	जहां तक बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि का सुधार संहिता की धारा 115-116 मे न कर धारा 89 मे करने के प्रावधान का प्रश्न है तो अनुविभागीय अधिकारी को भूल सुधार हेतु संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश देते हुए प्रकट भूल को सुधार करने की कार्यवाही की जाना चाहिए थी। ऐसा न कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धाराओं के प्रावधान का आधार लेकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रविष्टि/भूल सुधार के आदेश दिनांक 17-9-14 को निरस्त कर न्याय को विफल करने का प्रयास किया गया है ऐसी स्थिति मे अनुविभागीय अधि० का आदेश दिनांक 30-4-15 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रदर्शित अभिलेख मे जो त्रुटि है उसे प्रकट भूल को सुधार जाने हेतु संहिता मे निहित प्रावधानों के तहत उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को सुधार जाने की कार्यवाही करे एवं विधि के प्रकाश मे प्रकरण का निराकरण करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.